बाल श्रम कराने वालों को दी चेतावनी

छापेमारी

श्रावस्ती, संवाददाता। एएचटी थाना टीम ने एनजीओ के साथ मिल कर आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान एक बाल विवाह को रोका तथा बालश्रम पर लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही बालश्रम कराने वाले लोगों को कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी।

थाना एएचटी के आरक्षी देवेंद्र कुमार मौर्य, अभिषेक कुमार, महिला आरक्षी कंचन देवी व आरक्षी सरला अवस्थी तथा थाना मल्हीपुर के बाल पुलिस कल्याण अधिकारी एवं एनजीओ देहात इंडिया के सहयोग से बाल श्रम एवं बाल विवाह उन्मूलन अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत थाना मल्हीपुर क्षेत्र के मल्हीपुर बाजार, साईं चौराहा, माल्ही चौराहा सहित विभिन्न स्थानों पर चौपाल लगाकर बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह एवं नशे के दुष्प्रभाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान आमजन को बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना कानूनी अपराध है। साथ ही, बाल श्रम रोकने और जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए 1090, 1098, 108, 112, 1076, 181 जैसी सरकारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। अभियान के दौरान ग्राम भगवानपुर भैंसाही में बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल टीम मौके पर पहुंची। परिजनों की ओर से बालिका की आयु संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद उसे बालिग पाया गया। इसके बावजूद, मौके पर मौजूद परिवारजनों एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई तथा सभी ने बाल विवाह न करने की शपथ ली।

एक दुकान में छापेमारी करते टीम के अधिकारी।